संख्याः 196/XVII(1)/06–293(प्रकोष्ठ)/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादूनः दिनांकः 02 मार्च, 2006

विषय :स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हे.ने.बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु धनराशि का आबंटन।

महोदय,

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के कुलसचिव ने अपने पत्र दिनांक 12–01–2005 एवं पत्र दिनांक 10–01–2006 द्वारा यह अवगत कराते हुये कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है और वे विश्वविद्यालय भूमि पर झुग्गी–झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं एवं इन सफाई कर्मचारियों को स्थानीय बाजार में कहीं भी किराये पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत श्रेणी–1 के 30 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित किया था। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 30 आवासों के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के पास भूमि भी उपलब्ध है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उपरोक्त 30 आवासों के निर्माण हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा गठित एवं कुल सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण संस्तुत कुल रूपये 74.49 लाख (रूपये चौहत्तर लाख उनन्चस हजार मात्र) की धनराशि के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य हेतु इतनी ही धनराशि संलग्न बी.एम.–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– उक्त आवासों के निर्माण के पश्चात भविष्य में इनके रख–रखाव/अनुरक्षण आदि हेतु कोई धनराशि नहीं दी जायेगी और भवन का रख–रखाव/अनुरक्षण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय को स्वयं करनी होगी।

5– आवासों का आबंटन मात्र अनुसूचित जाति के स्वच्छकारों को ही किया जायेगा।

6– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

9– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2

11– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

13– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

14– उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

15– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये।

16– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

17– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

18– तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित औचित्यपूर्ण आगणन की प्रति भी संलग्न की जा रही है।

19– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय– 05–अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता– 00–" के मानक मद– "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न पुर्नविनियोग के कॉलम–4 की बचतों से वहन किया जायेगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1043/XXVII(3)/2006 दिनांकः 28 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः– 196(1)/XVII(1)/06–293(प्रकोष्ठ)/2005/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, शिक्षा, उत्तरांचल शासन।
3. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन. आई. सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट–3, उत्तरांचल पेयजल निगम, पोखरियाल भवन, देहरादून रोड़, ऋषिकेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव.

02030604

(पैरा–158)

नियंत्रक अधिकारी :–सचिव, समाज कल्याण,
उत्तरांचल शासन।

वित्तीय वर्ष 2005–2006

प्रशासकीय विभाग :– समाज़ कल्याण।
अनुदान संख्या – 30
(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानकमदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानांतरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनु.सं0–30 आयोजनागत 2225–अनु.जातियों,अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याणं 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 800–अन्य व्यय 04–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों मेंअवस्थापना सुविधाओंका विकास 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता 11000	–	2580	8420	अनु.सं0–30 आयोजनागत 2225–अनु.जातियों,अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 800–अन्य व्यय 05–अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता 7449	17449	3551	क) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की मानक मद– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में प्रस्ताव न होने के कारण बचत की सम्भावना है। ख) चिकित्सा विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तुत एम्बुलेंस की योजना हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोग आवश्यक है.
योग : 11000	–	2580	8420	योग : 7449	17449	3551	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघंन नहीं होता है.

(राधा रतूड़ी)
सचिव,
समाज कल्याण.

उत्तरांचल शासन
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग – 3
सं0–1043/XXVII(3)/2006
देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत ।

(एल. एम. पन्त)
अपर सचिव, वित्त.

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल, माजरा,देहरादून।

संख्या–196(2)/XVII(1)/06–293(प्रकोष्ठ)/2005/तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव, समाज कल्याण।